भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4877

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

लेखा मानदंडों की अवहेलना

4877. श्री बी. श्रीरामुलु :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार को लेखापरीक्षा फर्मों/कंपनियों द्वारा लेखा सिद्धान्तों की अवहेलना करने की घटना और वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान देश में सूचित ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा ऐसी फर्मों/कंपनियों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार को ऐसे उल्लंघनों के कारण कितना नुकसान हुआ है; और
(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 के दौरान ध्यान में आए मामलों का ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है। वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के लिए सूचना एकत्रित की जा रही है। कंपनी अधिनियम के तहत इन अनियमितताओं के कारण वित्तीय हानि की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

ऐसे मामलों में कंपनी अधिनियम के गैर-अनुपालन के लिए उचित प्रावधान लागू किए जाते हैं, जिनमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 के साथ पठित धारा 227/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जहां अपेक्षित है, चूककर्ता लेखापरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान को संदर्भित किया जाता है।

लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली ऐसी अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में निवारक प्रावधान हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) इस अधिनियम के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के मामले में अपेक्षाकृत कठोर दंड के प्रावधान;
(ii) लेखापरीक्षकों की अर्हता/स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षाकृत कठोर अपेक्षाएं;
(iii) लेखापरीक्षकों का अनिवार्य रोटेशन;

(iv) विनिर्दिष्ट गैर-लेखापरीक्षा सेवाएं देने पर प्रतिबंध;

(v) सूचीबद्ध कंपनियों और निर्दिष्ट मानक पूरे करने वाली कंपनियों के मामले में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की भूमिका; और निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में अधिक प्रकटीकरण करना, वित्तीय कथन और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शेयरधारकों को उपलब्ध कराना।

*****

अनुलग्नक-I

कंपनियों द्वारा लेखांकन सिद्धांतों की अवहेलना और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्यों का नाम	वर्ष	
		2013-14	2014-15
1.	आन्ध्र प्रदेश	01	01
2.	असम	--	01
3.	बिहार	01	--
4.	चंडीगढ़	--	03
5.	दिल्ली	17	16
6.	गोवा	03	--
7.	गुजरात	05	02
8.	हरियाणा	--	04
9.	कर्नाटक	22	02
10.	मध्य प्रदेश	01	01
11.	महाराष्ट्र	51	37
12.	मेघालय	--	--
13.	ओडीसा	--	03
14.	पुणे	01	--
15.	राजस्थान	02	--
16.	तमिलनाडु	03	--
17.	उत्तर प्रदेश	--	01
18.	पश्चिम बंगाल	49	50
19.	केरल	--	--

इसके अतिरिक्त, एसएफआईओ ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान न्यायालयों के माध्यम से कुल 50 मामले जिनमें 45 कंपनियां शामिल थीं और 45 कंपनियों ने आईसीएआई में मामले दायर किए थे।

*****